भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 207

सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-95 योजना

207. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि पेंशन के आरम्भ से अब तक 30 लाख पात्र व्यक्तियों को 1000 रूपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक दस वर्ष पर कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-95 की समीक्षा और संशोधन के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सर्वोच्य न्यायालय ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न होने की जांच के लिए तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भविष्य निधि पेंशन में व्यापक संशोधन पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो निकट भविष्य में इसे लागू करने की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): जी नहीं।

(ख): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस - 95) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया है। ईपीएस - 95 दिनांक 19.11.1995 को लागू किया गया। योजनाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है। विशेषज्ञ समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए ईपीएस - 95 के उपबंधों की समय समय पर समीक्षा की गई है। ईपीएस - 95 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नानुसार हैं:

(i) दिनांक 01.09.2014 से मजदूरी सीमा 6500/- रु. से बढ़ाकर 15000 रु. प्रति माह की गई है।

(ii) पेंशन आकलन के लिए पूर्व-परिभाषित फॉर्मूलों के अनुसार जहां कहीं भी पेंशन 1000 रुपये से कम हो रही थी, वहां अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके, दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रु. के न्यूनतम पेंशन का उपबंध।

(iii) उन सदस्यों के संदर्भ में, ऐसे विनियम किए जाने की तिथि से पंद्रह वर्ष पूरा होने के पश्चात,सामान्य पेंशन की बहाली, जिन्होंने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना जी.एस.आर.132(ई) के माध्यम से दिनांक 25.09.2008 को अथवा उससे पूर्व ईपीएस, 1995 के भूतपूर्व अनुच्छेद 12क के तहत पेंशन के संराशीकरण का लाभ उठाया।

(ग): भारत संघ तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12.10.2018 के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके द्वारा ईपीएस - 95 में वर्ष 2014 में किए गए संशोधनों को रद्द किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 की विशेष अनुमति याचिका (ग) सं. 8658-8659 एवं अन्य संबंधित मामलों में, अपने दिनांक 24.08.2021 के आदेश के माध्यम से, मामलों को कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। मामला अब न्यायाधीन है।

(घ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया था जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सहित 9 केन्द्रीय श्रम विधानों को समाहित किया गया है। नई संहिता की धारा 15 में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन सहित विभिन्न योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, उक्त संहिता को अभी लागू किया जाना है।

****